न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

नरपत सिंह बनाम कौशल्या देवी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	दावा क्र.न. 19/2021
29-9-21	... पेश हुई। वकुलाय फरि... ...पस्थित। पीठासीन अधि... दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में है। पत्रावली ... कार्यवाही है... दिनांक 8-11-21 को पेश हो। [signature] रीडर उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)
17-1-22	इकजाई तारीख पेशी देने पर आज पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिकेन उपस्थित/पीठा. अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 7-2-22 को पेश हो। [signature] रीडर उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)
7-2-22	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान उपस्थित। मकरुण मे तहसीलदार (भू.अ.) श्रीमाधोपुर के पत्रांक 50/भू.अ./2021 दिनांक 4-2-2022 के द्वारा प्रारम्भिक डिक्री की पालना मे विधिक विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुये। जो शामिल पत्रावली किये गये। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 10-02-2022 को पेश हो। PO साहब अन्य कार्य मे व्यस्त है। [signature] रीडर उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)
10-2-22	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान उपस्थित। मकरुण ... बहस वकुलाय उभय पक्षकारान सुनी ... वकील ... कार्यालय ने तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव से सहमति व्यक्त की। वकुलाय उभय पक्षकारान की सहमति के आधार पर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किया

— लगातार —

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.02.28 13:28:11 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

नरपत सिंह बनाम कौशल्या देवी वगै.

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
दावा — 14/2021	सहमत हूँ
जाता है। प्रकरण में निर्णय पृथक से मेरे द्वारा लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव व नजरी नक्शा को डिक्री का भाग बनाया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	[illegible]

10/02/22

दिलीप सिंह

उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.02.28 13:28:11 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला– सीकर (राज0)

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
14/2021	2021/27	02.02.2021	10.02.2022(अन्तिम डिक्री)

उनवान

1. नरपत सिंह पुत्र म्हाल सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम नाथूसर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

वादी

बनाम

1. कौशल्या देवी पत्नि मामराज
2. छीतरमल पुत्र फूलचन्द
3. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र फूलचन्द
4. श्यामसुन्दर पुत्र फूलचन्द
5. नवल किशोर पुत्र मामराज
6. विकास पुत्र मामराज
7. शोभा पुत्री मामराज
8. सरला पुत्री मामराज

   समस्त जाति ब्राह्मण निवासीगण ग्राम नाथूसर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
9. पटवारी, पटवार हल्का नाथूसर
10. उप पंजीयक श्रीमाधोपुर
11. भूमिधारी जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर

प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपस्थित:-

Signature Not Verified

श्री रघुनाथ सिंह शेखावत, वादी अभिभाषक
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.02.28 13:28:11 IST
Reason: SelfAttested
श्री सरदार सिंह कुड़ी प्रथम, प्रतिवादी नं. 2 अभिभाषक
श्री सॉवर मल महला, प्रतिवादी नं. 1, 3 ता 8 अभिभाषक

10/02/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

वादपत्र अंतर्गत धारा 53, 188 राज0 काश्त0 अधिनियम, 1955

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि वादी की खातेदारी आराजीयात काश्तकारी भूमि खसरा नम्बर 4135 कुल रकबा 2.18 हैक्टर अवस्थित ग्राम नाथूसर, तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के 1/4 हिस्से की खातेदारी वादी के नाम एंव शेष हिस्से की खातेदारी प्रतिवादी नम्बर 1 ता 8 के नाम दर्ज रिकार्ड है। जिसका अभी तक कोई बंटवारा नहीं हुआ है। उक्त कृषि भूमियों की खातेदारी संयुक्त खातेदारी की होने के कारण उक्त भूमि का समुचित विकास नहीं हो पा रहा है तथा वादी को उसकी खातेदारी हक हिस्से की भूमि को संयुक्त रूप से काश्त करने में परेशानी हो रही है। वादी अपने हिस्से की भूमि को बंटाई पर काश्त करवाना चाहता है किन्तु प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 8 बंटाईदार को भी काश्त नहीं करने देते है तथा 3/4 हिस्से की भूमि में प्लाट काटकर वादी को उसके हिस्से की भूमि में जाने का रास्ता भी अवरूद्ध कर दिया है। वादी शान्ति प्रिय एंव अकेला व्यक्ति है। वर्तमान में जमीनों की बढ़ती कीमतों के कारण प्रतिवादी नं. 1 ता 8 के मन में बेईमानी आ गई तथा वादी के खिलाफ एक गिरोह बना लिया जो कृषि भूमियों में विकसित भूमियों व बेशकिमती भूमियों पर मनमर्जी से कब्जा कर उक्त भूमियों के विशिष्ट भू—भाग पर कब्जा कर उसे भूमाफियाओं से मिलकर कृषि भूमि को अकृषि भूमि में बदलकर कॉलोनी काट दी है तथा प्लाट बेचने पर आमादा है। वादी उक्त खसरा नम्बर 4135 रकबा 2.1800 हैक्टर का राजस्व रिकार्ड व हक हिस्सानुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विधिक विभाजन करवाने हेतु वाद वास्ते तकांसमा एंव स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

इस पर वादी के वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण नं. 2 की ओर से श्री सरदार सिंह कुड़ी प्रथम एड0 एंव प्रतिवादीगण नं. 1, 3 ता 8 की ओर से श्री सॉवर मल महला एड0 ने उपस्थित होकर जवाब दावा पेश किया। प्रकरण में वादी एंव प्रतिवादी नं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 के द्वारा जरिये अधिवक्तागण आपसी राजीनामा हो जाने से राजीनामा पेश कर तस्दीक कराया है। वकलाय उभय पक्षकारान् ने वादपत्र बाबत बंटवारा का होने तथा वकील प्रतिवादीगण द्वारा सहमति प्रदान कर दिये जाने से प्रकरण में

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.02.28 13:28:11 IST
Reason: SelfAttested

10/02/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

प्रारम्भिक डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किये जाने पर प्रकरण में दिनांक 07.09.2021 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम– 18 से 21 के अनुसार एंव राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक राम/न्याया/स्था/प–51/ 2008/विविध 10346 दिनांक 05.10.2020 में वर्णित दिशा निर्देशानुसार प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर जरिये पत्रांक 3250/रीडर/2021 दिनांक 20.10.2021 के द्वारा पालना रिपोर्ट मय विधिक विभाजन प्रस्ताव मय कुर्रेजात रिपोर्ट अलग–अलग रंगों में तैयार कर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से चाही गई। जिसकी पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक 50/भू.अ./2021 दिनांक 04.01.2022 के द्वारा पालना रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के प्राप्त होकर न्यायालय के समक्ष पेश की गई। तहसीलदार श्रीमाधोपुर के मौका पर्चा रिपोर्ट को शामिल पत्रावली की गई।

वादी अभिभाषक ने प्रतिवादी संख्या 1 से 8 के द्वारा वादीगण के पक्ष में राजीनामा पेश कर दिये जाने तथा प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से आज ही बहस सुनी जाकर निस्तारण किये जाने का निवेदन किया।

हमनें वकुलाय उभय पक्षकारान् की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकुलाय उभय पक्षकारान् की बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 के अनुसार वादग्रस्त भूमि वादी व प्रतिवादीगण रिकॉर्डेड सह खातेदार है। वादी एवं प्रतिवादी नं. 1 ता 8 के मध्य सह खातेदारी में दर्ज कृषि भूमि खसरा नम्बर नम्बर 4135 कुल रकबा 2.18 हैक्टर अवस्थित ग्राम नाथूसर, तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर का वादी एवं प्रतिवादी नं. 1 ता 8 के मध्य बाहमी बंटवारें उपरान्त हुए राजीनामा व सलंग्न नजरी नक्शा के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 अन्तर्गत धारा 53 बंटवारा की हकदार होने से अपने–अपने हक हिस्से में दर्ज खातेदारी भूमियों का कब्जे काश्त अनुसार विधिक विभाजन कराये जाने के अधिकारी है। ऐसी स्थिति में वादी एवं प्रतिवादी नं. 1 ता 8 के मध्य सह खातेदारी में दर्ज कृषि भूमि खसरा नम्बर 4135 कुल रकबा 2.18 हैक्टर अवस्थित ग्राम नाथूसर, तहसील श्रीमाधोपुर का वादी एवं प्रतिवादी नं. 1 ता 8 के मध्य बाह्मी बंटवारा उपरान्त हुए राजीनामा व नजरी नक्शा अनुसार विधिक विभाजन किया जाकर पृथक–पृथक खाता कायम किये जाने हेतु प्रारम्भिक डिक्री

10/02/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.02.28 13:28:11 IST
Reason: SelfAttested

जारी होने पर प्रारम्भिक डिक्री की पालना रिपोर्ट तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त हो चुकी है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट से वकील वादी एंव वकील प्रतिवादीगण ने अपनी–अपनी सहमती प्रकट की है। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 को तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खातेदारी राजस्व रिकार्ड में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 के प्रारम्भिक डिक्री की पालना में प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज करने बाबत वादी का वाद स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

इस प्रकार वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 के मध्य हुए राजीनामा अनुसार तथा तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 04.01.2022 में वर्णित विधिक विभाजन प्रस्ताव, नजरी नक्शा ट्रेस के आधार पर निम्न प्रकार के विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है :–

तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार प्रविष्टी

क्र स	काश्तकारों के नाम	खसरा न.	रकबा (हैक्टे.में)	किस्म	लगान (रू. में)
1	नरपत सिंह पुत्र म्हाल सिंह जाति राजपूत सा. देह खातेदार	4135/1	0.5450	चाही 3 बारानी 2	निम्नानुसार
2	छीतर मल, राजेन्द्र प्रसाद, श्यामसुन्दर पि0 फूलचन्द, कौशल्या देवी पत्नि मामराज, नवल किशोर, विकास, पि0 मामराज, शोभा, सरला पुत्रियॉ मामराज जाति ब्राह्मण सा. देह खातेदार	4135/2 4135/3 4135/4	0.1150 0.0450 1.4750	चाही 3 बारानी 2 (गै.मु. रास्ता) चाही 3 बारानी 2 चाही 3 बारानी 2	निम्नानुसार
		किता 3	1.6350		

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.02.28 13:28:11 IST
Reason: SelfAttested

10/02/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

अतः उपरोक्तानुसार राजस्व जमाबन्दी में अंकन स्वीकार किया जाकर पृथक–पृथक खाते कायम किये जाकर लगान फाटनी अलग–अलग की जावें। रहन इत्यादि हो तो बदस्तुर रखा जावे। तहसीलदार श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक भू.अ./2021/50 दिनांक 04.01.2022 के द्वारा प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव व इसके संलग्न नजरी नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग बनाया जाता है। उपरोक्त सारणी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन करने के आदेश तहसीलदार श्रीमाधोपुर को प्रदान किये जाते है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Rathore 10/02/22
(दिलीप सिंह)
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 10.02.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.02.28 13:28:11 IST
Reason: SelfAttested

Rathore 10/02/22
(दिलीप सिंह)
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
श्रीमाधोपुर (सीकर)